

न्यायालय तहसीलदार गडरारोड, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या २२/२०१९ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, १९५६ की धारा ९१

सायल

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये बनाम
पटवारी हल्का राणादास

श्री मन्मथ प्रसाद पुत्र रवीशंकर
जाति सुधाकर निवासी राजी
तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकान गडरारोड में पेश हुई गैरसायल की उप. / २२/१९। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राणादास ने धारा ९१ के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम राजी के खसरा नम्बर २२०१ रकबा ११.०५ बीघा में से ०.७९ बीघा किरम गैरसायल की राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध धारा ९१ आर.एल.आर. एक्ट १९५६ के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैरसायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैरसायल को आर.एल.आर. एक्ट १९५६ धारा ९१ का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त अतिक्रमिता भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पूर्णांक का ६० गुणा जुर्माना राशि रुपये ५० अक्षरें पचास रुपये मात्र रां आरोपित किया जाता है। जो गैरसायल से वसूल हो।

टी.आर.ए, पटवारी हल्का, निरीक्षण भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक १८/०७/१९ को सरेआम सुनाया गया।

10/19
तहसीलदार गडरारोड

जुमाना ५२ फसल नि.
कुल योग ५२ जि.के पृष्ठ सं. १६
वर्ष २०१९-२० में इन्द्राज किया गया :

तहसील राजस्व लेखाकार